न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : अपील–गुना/भू0रा0/2019/0003 विरूद्ध– आदेश दिनांक 31–10–2018 – पारित व्दारा – आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 512/2017–18 अपील

1– मग्गा पुत्र ग्यारसा आदिवासी
2– पूरनलाल पुत्र ग्यारसा आदिवासी
3– खेरू पुत्र ग्यारसा आदिवासी
4– मिथलेशवाई पुत्री ग्यारसा आदिवासी
5– चन्द्रीवाई पुत्री ग्यारसा आदिवासी
सभी निवासी ग्राम मंगवार हाल निवासी
ग्राम हाथीखूदन तहसील व जिला गुना ———अपीलांटस

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर गुना ———रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(रिस्पाण्डेन्ट के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 11–04–2019 को पारित)

यह अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 512/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–2018 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट्स ने कलेक्टर गुना को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि उनके स्वामित्व की ग्राम मंगवार कुड़ी पटवारी हलका नंबर 44 तहसील गुना स्थित सर्वे क्रमांक 5/3 रकबा 2–090 हैक्टर की भूमि सामिलाती है किन्तु भूमि उबड़ खाबड़ है जिसके कारण वर्षो से पड़त है इस भूमि को विक्रय करके वह सुविधानुसार अन्यत्र स्थान पर खेती योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं। इस भूमि को भानुप्रताप सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. मुरली सिंह सिसोदिया,जसपाल सिंह,सुखपाल सिंह पुत्रगण दलजीत सिंह गिल निवासी नानाखेड़ी गुना को विक्रय

करना चाहते हैं इसलिये विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर गुना ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 21/17–18 पॅजीबद्ध किया तथा प्रकरण लम्बित बनाये रखा। अपीलांट्स ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्रमांक 4385/18 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 23–2–18 के पालन में कलेक्टर गुना ने अपीलांट्स की सुनवाई कर आदेश दिनांक 5–5–18 पारित किया तथा अपीलांट्स का विक्रय अनुमति आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्र0 क0 512/ 2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–2018 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक का तर्क है कि स्व. ग्यारसा आदिवासी के पॉच संतान हैं जिनके अलग अलग परिवार हैं एंव सामिलाती भूमि कुल 2–090 हैक्टर यानि साढ़े नौ बीघा है एक परिवार के हिस्से में पौने दो वीघा के आसपास भूमि आती है वह भी उबड़ खाबड़ है जो अकृषि योग्य होने से मौके पर पड़त पड़ी है। इस भूमि से अपीलांटस् के परिवार की गुजर बसर नहीं होने से वह मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इस भूमि को विक्रय करके मिलने वाले धन से खेती योग्य जमीन खरीद रहे हैं एंव भूमि विक्रय का अनुबंध भानुप्रताप सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. मुरली सिंह सिसोदिया , जसपाल सिंह गिल, सुखपाल सिंह गिल्ल पुत्रगण दलजीत सिंह गिल निवासी नानाखेड़ी गुना से किया गया है तथा इस भूमि को विक्रय करने के उपरांत जिला अशोकनगर की तहसील ईसागढ़ के ग्राम नानकपुर मुहाल में कल्लू पुत्र गप्पा सहरिया से सर्वे क्रमांक 118 की भूमि में से रकबा 1–254 हैक्टर खरीदने का अनुबंध किया गया है। भूमि क्रय विक्रय सदभावना पर है इस पर कलेक्टर ने एंव आयुक्त ग्वालियर संभाग ने ध्यान नहीं दिया है उन्होंने विक्रय अनुमति दिये जाने की मांग की।

रिस्पा. के पैनल लायर ने तर्को में बताया कि अपीलांट्स के पास यही भूमि आजीविका का साधन है जो शासन से पटटे पर प्राप्त है यदि इस भूमि को

अपीलांट्स विक्रय कर देते हुये तब वह भूमिहीन हो जावेंगे एंव फिर से पटटा प्राप्ति की लायन में लग जावेंगे। इसलिये भूमि का विक्रय अपीलांटस के लिये फायदेमंद नहीं है। उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग रखी।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में कलेक्टर गुना के प्रकरण क्रमांक 2 अ 21/17-18 के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर गुना ने अपीलांट्स के आवेदन की जांच नायव तहसीलदार वृत्त 2 उमरी से कराई है। नायव तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिनांक 28-3-18 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि विक्रय होती है तब चन्द्रीवाई पत्नि कमरिया के पास अन्य भूमि होने से वह विक्रय उपरांत भूमिहीन नहीं होगी किन्तु शेष अपीलांट्स भूमिहीन की श्रेणी में हो जावेंगे। ग्राम मंगवार की भूमि सर्वे क्रमांक 5/3 रकबा 2-090 हैक्टर के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि कलेक्टर गुना के प्रकरण में पृष्ठ 12 पर संलग्न है जिसके कालम नंबर 3 में इस प्रकार अंकन है :-

पूरनलाल खेरू मंगा
मिथलेशवाई चन्दरीवाई पुत्र पुत्रियां ग्यारसा
जाति सेहर पता नि. ग्राम
भूदान भूमिस्वामी भू-राजस्व 7-50

भूमि भूदान पटटे की है। नायव तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन मौन है एंव उनके व्दारा यह नहीं बताया गया है कि भूमि अपीलांट्स के नाम किस प्रकार व कब आई है? अपीलांट्स के अभिभाषक के अनुसार लगभग सन 1972-73 में स्व. ग्यारसा आदिवासी को पटटा मिला है तथा ग्यारसा आदिवासी के मरने के वाद वर्ष 2015 में भूमि अपीलांट्स को विरासत में नामान्तरण से मिली है। वर्तमान में भूदान बोर्ड एंव भूदान नियम समाप्त होकर भूदान भूमियॉ म.प्र.भू राजस्व संहिता के अधीन बनाये गये नियमों से शासित हैं तब क्या वर्षो पूर्व पटटे पर प्राप्त भूमि एंव अपीलांट्स को विरासत में प्राप्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकती है ? अपीलांट्स के अभिभाषक के अनुसार सामिलाती भूमि कुल 2-090 हैक्टर यानि साढ़े नौ बीघा है एक परिवार के हिस्से में लगभग पौने दो वीघा भूमि आती है वह भी उबड़ खाबड़ है जिसमें फसल नहीं होने से विक्रय की अनुमति मांग रहे हैं एंव इस भूमि को विक्रय करके वह कृषि योग्य भूमि स्थित ग्राम नानकपुर मुहाल तहसील ईसागढ़ में कल्लू पुत्र गप्पा सहरिया

से सर्वे कमांक 118 की भूमि में से रकबा 1–254 हैक्टर खरीद रहे है जिसके कारण अपीलांट्स व्दारा भूमि का विक्रय किया जाना सदभावना पर आधारित होना प्रतीत होता है । प्रत्येक भूमिस्वामी पटटा प्राप्ति के 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी की हैसियत पाने से भूमि का प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र होना माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के न्याय दृष्टांतों में आया है जिसके कारण अपीलांट्स को ग्राम मंगवार कुड़ी पटवारी हलका नंबर 44 तहसील गुना स्थित सर्वे कमांक 5/3 रकबा 2–090 हैक्टर (सामिलाती भूमि) के विक्रय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है परन्तु कलेक्टर गुना ने आदेश दिनांक 5–5–18 पारित करते समय तथा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 31–10–2018 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 512/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–2018 तथा कलेक्टर गुना व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–21/2017–18 में पारित आदेष दिनांक 5–5–18 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलांट्स को उनके स्वामित्व की ग्राम मंगवार कुड़ी पटवारी हलका नंबर 44 तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 5/3 रकबा 2–090 हैक्टर विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय पत्र संपादित करते समय उप पंजीयक समाधान कर लेंवे कि अपीलांट्स को विक्रय धन (अग्रिम समायोजन उपरांत) बैंकिंग पद्धति से भुगतान हो गया है अथवा नहीं ? तदुपरांत ही विक्रय पत्र संपादित किया जावे।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर